P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February (Part2) * 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में भ्रष्टाचार निवारण : वैधानिक एवं संस्थागत ढाँचा

विनोद कुमार
(सहायक आचार्य-राजनीति विज्ञान विभाग),
श्री राधेश्याम आर. मोरारका राजकीय महविद्यालय झुंझुनु
शोधार्थी,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार युगों पुरानी घटना है। स्वतंत्रता के पश्चात् स्थापित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती है। भ्रष्टाचार निवारण हेतु न केवल संवैधानिक प्रावधान किये गये, बल्कि संसद द्वारा कानून बनाकर एक सशक्त संस्थागत ढ़ाँचा विकसित करने के प्रयास किये गये है। भ्रष्टाचार केवल स्वतंत्र भारत में उत्पन्न समस्या नहीं है। यह ब्रिटिश शासन में भी प्रमुख चुनौती थी किन्तु ब्रिटिश शासन में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता ही एकमात्र साधन थी। जिसके अंतर्गत एक अध्याय में धारा 161 से धारा 165 में भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए कानूनी प्रावधान थे।

स्वतंत्रता के पश्चात् भ्रष्टाचार निवारण हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947, दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952, 1964 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 में संशोधन तत्पश्चात् भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के स्थान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 बनाया गया। इसके अतिरिक्त 1962 में गठित के. संथानम समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सर्तकता आयोग की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जाँच ब्यूरों की स्थापना जो कि भ्रष्टाचार निवारण मामलों की प्रमुख जाँच एजेन्सी है। 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल व्यवस्था के गठन के लिए सिफारिश की जिसकी स्थापना 2014 में हुयी। इन सब कानूनी एवं संस्थागत प्रावधानों के बावजूद भ्रष्टाचार की समस्या दैत्य के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने चुनौती बनी हुयी है। भ्रष्टाचार निवारण हेतु किये गये सभी कानूनी एवं संस्थागत प्रयास प्रभावी नहीं है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही के ये प्रयास वास्तविक मंशा के बिना दिखावा मात्र रह गये है। इन प्रयासों को पक्षपात एवं विरोधियों को परेशान करने के हथियार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भ्रष्टाचार की जड़े व्यवस्था में इतनी गहरी जम गयी है कि अधिकांश लोग इसे अपरिहार्य मानने लगे है और इसे रोकने के किसी भी प्रयास को व्यर्थ मानते है।

मुख्य शब्द : भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जीवन, भारतीय दण्ड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947, केन्द्रीय सर्तकता आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, प्रशासनिक सुधार आयोग।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार एवं सत्ता का दुरूपयोग लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के लिए प्रमुख समस्या है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार नैतिकता की विफलता का परिणाम है। सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार का कारण नैतिक मूल्यों में गिरावट एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध कठोर दाण्डिक कार्यवाही के प्रावधान का अभाव है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के प्रचलन का मुख्य मानक तत्व राजनीति की गुणवत्ता है। भ्रष्टाचार निवारण के मार्ग में मुख्य बाधा राजनीतिक नेतृत्व एवं नौकरशाही के मध्य साँठ–गाँठ है। ऐसे में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सशक्त एवं प्रभावशाली कदम उठाये जाने आवश्यक है। यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण हेतु स्वतंत्रता के पश्चात् कानूनी एवं संस्थागत स्तर पर प्रयास किये गये है, किन्तु ऐसे सभी प्रयास प्रभावकारी एवं सार्थक सिद्ध नहीं हो पा रहे है। हाल ही में जर्मनी के एक गैर–सरकारी संगठन "ट्रॉसपेरेन्सी इन्टरनेशनल" द्वारा भ्रष्टाचार के विषय में 180 देशों में किये गये सर्वे में भारत का स्थान 78 वॉ है, जो कि विचारणीय विषय है। ऐसे में सार्वजनिक भ्रष्टाचार रूपी वायरस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को रुग्ण बनाने में लगा हुआ है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु न केवल सार्वजनिक स्तर पर

कानूनी एवं संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी निजी जीवन में आचरण के उच्च नैतिक मानदण्डों को अपनाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु एक उच्च आदर्श युक्त सामाजिक एवं राजनीतिक संस्कृति विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपलब्ध कानूनी एवं संस्थागत ढ़ांचे की सक्षमता का विश्लेषण करना है। भ्रष्टाचार निवारण हेतु संसद द्वारा बनाये गये विभिन्न अधिनियमों एवं कानूनों की भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में सार्थकता का परीक्षण कर विद्यमान विसंगतियों को दूर करने के लिए उठाये जाने वाले आवश्यक कदमों के लिए विद्यमान प्रशासनिक ढ़ाँचे में उपलब्ध विकल्पों की प्रासंगिकता एवं व्यावहारिकता का परीक्षण करना है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य उन सुझावों को इंगित करना जिसके द्वारा भ्रष्टाचार निवारण हेतु विद्यमान ढ़ाँचे को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाया जा सके ताकि संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ, पारदर्शी, जबावदेही, शासन की स्थापना सुनिश्चित की जा सके।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत भारत में भ्रष्टाचार निवारण हेतु उपलब्ध कानूनी एवं संस्थागत ढ़ाँचे की सैद्धान्तिकता एवं व्यावहारिकता का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र वर्णनात्मक, विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्वति पर आधारित है। इस हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है। विषय के अध्ययन हेतु प्रासंगिक उपलब्ध साहित्य के अन्तर्गत संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम, प्रथम व द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोगों के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सर्तकता आयोग एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के प्रतिवेदनों के आधार पर अध्ययन को अधिक विश्वस्त एवं प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण का ढ़ाँचा

स्वतंत्रता से पूर्व सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निवारण हेतु भारतीय दण्डसंहिता ही एकमात्र साधन थी । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 से धारा 165 में भ्रष्ट लोकसेवकों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता पश्चात् भ्रष्टाचार निवारण हेतु कानूनी एवं ढ़ाँचागत संरचना विकसित करने का प्रयास किया गया है।[1] भ्रष्टाचार रूपी दैत्य से लड़ने के लिए अनेक प्रकार के कानूनों एवं अधिनियम पारित किये गये जिनमें प्रमुख अधिनियम निम्नानुसार है–

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947

भारतीय संसद ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 पारित किया जिससे निम्नलिखित प्रावधान किये गये है:–

लोकसेवक की परिभाषा

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा – 2 में लोकसेवक[2] की परिभाषा दी गयी है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के समान ही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में लोकसेवकों के संबंध में "पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में आपराधिक अवचार" का प्रावधान करते हुए सजा 1 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष तक किये जाने का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही ईमानदार अधिकारियों के किसी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161, 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान आरोपित लोक सेवक को पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान भी किया गया कि रिश्वत देने वाले व्यक्ति के द्वारा रिश्वत देना मान लिया जाने के अभिकथन पर कोई अभियोजन[3] नहीं हो सकेगा।

दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 165 के अधीन दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया गया तथा धारा 165 क जोड़कर भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और 165 में परिभाषित किए गए अपराधों को दुष्प्रेरित करना भी अपराध बना दिया गया । इसके अतिरिक्त प्रावधान किया गया कि भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही की जाएं।

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 1964

1964 में भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों में व्यापक संशोधन किये गये। भारतीय दंड संहिता के तहत "लोक सेवक" की परिभाषा का विस्तार किया गया। 'आपराधिक अवचार' की परिभाषा का विस्तार करते हुए लोकसेवक की आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक संपत्ति रखना अपराध माना गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के द्वारा रिश्वत एवं भ्रष्टाचार निवारण की वर्तमान विधियों को समेकित एवं संशोधन किया गया । इस अधिनियम को 9 सितम्बर, 1988 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किये गये :–

अधिनियम में "लोक कर्त्तव्य" की नई अवधारणा दी गयी जिसका आशय है, कोई ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य की जनता या समाज की रूचि है।[4] लोकसेवक की परिभाषा को अधिनियम में शामिल करते हुए परिभाषा को व्यापकता प्रदान की गयी। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसके अधिकार एवं प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किये गये। अधिनियम के अध्याय 3 में भ्रष्टाचार संबंधी अपराध एवं शक्तियों से संबंधित प्रावधान किये गये। इस अधिनियम द्वारा सजा एवं जुर्माने में वृद्धि की गयी। अधिनियम के अध्याय 4 में अपराधों के अन्वेषण से संबंधित प्रावधान किये गये। अधिनियम के अध्याय 5 में अभियोजन स्वीकृति एवं अन्य विधिक प्रावधान किये गये।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अपनी चौथी रिपोर्ट में रिश्वत देने को अपराध के रूप में शामिल करने, कुछ मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी प्रावधान में छूट प्रदान करने और भ्रष्टाचार के आरोपी सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने संबंधी प्रावधान, शामिल करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी।

26 जुलाई, 2018 को राष्ट्रपति द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 को मंजूरी प्रदान की गयी। इस अधिनियम द्वारा रिश्वत लेने वाले के साथ रिश्वत देने वाले को भी समान रूप से जिम्मेदार मानते हुए तथा रिश्वत देने वाले एवं लेने वाले दोनों के लिए 3 से 7 साल की सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया। किसी लोक सेवक पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पूर्व केन्द्र सरकार के लोक सेवक की स्थिति में लोकपाल तथा राज्य लोक सेवक की स्थिति में लोकायुक्त की अनुमति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति पर रिश्वत देने का आरोप होगा उसको अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन तथा विशेष परिस्थितियों में 15 दिन की अवधि बढ़ायी जा सकती है

केन्द्रीय सर्तकता आयोग

भारत में भ्रष्टाचार निवारण एवं सर्तकता प्रशासन पर सामान्य अधीक्षण रखने के लिए एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में के. संथानम समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा 11 फरवरी, 1964 को एक संकल्प प्रस्ताव द्वारा केन्द्रीय सर्तकता आयोग की स्थापना की गयी[5] सर्वोच्च न्यायालय ने विनित नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में केन्द्रीय सर्तकता आयोग को वैधानिक दर्जा दिये जाने का निर्णय दिया। जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सर्तकता आयोग अध्यादेश, 1988 के द्वारा आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तत्पश्चात् 11 सितम्बर 2003 को राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सर्तकता अधिनियम को मंजूरी प्रदान की गयी।

केन्द्रीय सर्तकता अयोग को केन्द्र सरकार में किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्गो के लोक सेवको द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमों के तहत किए गए अभिकथित अपराधों की जांच एवं अन्वेषण का अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त आयोग को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के कार्यक्रम का अधीक्षण करने का अधिकार है।[6]

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 14 में विनिर्दिष्ट लोक कर्मचारियों की श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत किए गए अभिकथित अपराधों में जांच करने तथा जांच या अन्वेषण करवाने का अधिकार लोकपाल को हैं।

केन्द्रीय सर्तकता आयोग लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करने अथवा जांच करवाने के लिए तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने के लिए नामित एजेन्सी हैं।[7]

केन्द्रीय सर्तकता आयोग की भूमिका[8] एवं कार्य

1. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के कार्यालय का अधीक्षण करना जहाँ तक वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों तथा लोकसेवकों की कतिपय श्रेणियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी अपराध के अन्वेषण से सम्बंधित है।[9]
2. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को अधीक्षण के लिए निर्देश देना जहाँ तक इनका सम्बंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के अन्वेषण से है।[10]
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर्भ पर जाँच करना या अन्वेषण करवाना।[11]
4. केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 8 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग से सम्बंधित किसी पदधारी के विरूद्ध प्राप्त किसी शिकायत में जाँच करना या अन्वेषण करवाना।[12]
5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से किए गए अपराधों में अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी अपराध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किए गए अन्वेषणों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना।[13]
6. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना।[14]
7. केन्द्रीय सरकार तथा इसके संगठनों को ऐसे मामलों पर सलाह देना जो इनके द्वारा आयोग को भेजे जाएगे।[15]
8. विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के संगठनों के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण रखना।[16]
9. किसी भी जाँच का संचालन करते समय आयोग को सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होगे।[17]
10. संघ के कार्यों से सम्बंधित लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से सम्बंधित अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से सम्बंधित सर्तकता अथवा अनुशासनिक मामलों का नियंत्रण करने वाले कोई भी नियम अथवा विनियम बनाने से पहले आयोग से किये जाने वाले अनिवार्य परामर्श पर केन्द्र सरकार को उत्तर देना।[18]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों का उद्‌गम विशेष पुलिस स्थापना से हुआ जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1941 में की गई थी। जिसका मुख्य कार्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध तथा आपूर्ति विभाग के साथ लेन–देनों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच पड़ताल करना था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से सम्बंधित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने हेतु वर्ष 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम को लागू किया गया। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ने गृह मंत्रालय के दिनांक 01.04.1963 के संकल्प के जरिए अपना नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर दिया गया।[19]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो संघ सरकार की भ्रष्टाचार निवारण मामलों की प्रधान जाँच एजेन्सी है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत भ्रष्टाचार में सम्बंधित कुछ विशिष्ट अपराधों अथवा अपराध के वर्गों और अन्य प्रकार

के अनाचारों की, जिसमें लोकसेवक लिप्त हो, जाँच करने की शक्तियाँ प्राप्त है।

इस प्रकार भारत में भ्रष्टाचार निवारण हेतु कानूनी व संस्थागत स्तर पर प्रयास किये गये है। कानूनी प्रयासों को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए इन कानूनों का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों को ओर अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार रूपी दैत्य से निपटने के लिए भारत में विकसित वैधानिक एवं संस्थागत ढ़ाँचा पूर्ण रूप से कारगर साबित नहीं हो पाया है। भ्रष्टाचार के मामलें में विश्व में भारत का स्थान इस बात को इंगित करता है कि भ्रष्टाचार निवारण हेतु विकसीत तंत्र मे ओर अधिक सुधार की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार निवारण हेतु बनाये गये कानूनों में सुधार करते हुए इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए विकसीत ढाँचागत व्यवस्था को ओर अधिक शक्तियाँ प्रदान कर सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार निवारण हेतु केवल कानूनी एवं ढ़ाँचागत स्तर पर प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस हेतु राजनीतिक नेतृत्व एवं नौकरशाही की शुचिता के अलावा गैर–सरकारी संगठन एवं निजी जीवन के स्तर पर सद्इच्छा से किये गये प्रयास ही कानूनी एवं ढ़ाँचागत प्रयासों की सार्थकता को सिद्ध कर सकेगें।

यद्यपि पिछले दशक में भारत में भ्रष्टाचार में कमी हुयी है, किन्तु अब भी भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार की समस्या से ग्रस्त है। ऐसे में आवश्यकता है कि इस समस्या पर समय रहते नियंत्रण किया जाये, ताकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लकवाग्रस्त न हो जाये।

अंत टिप्पणी

1. *शासन में नैतिकता, चतुर्थ प्रतिवेदन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जनवरी, 2007, पृ.स.–58*
2. *धारा –2, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1947*
3. *धारा 8, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947*
4. *धारा 2 (ख), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988*
5. *वार्षिक प्रतिवेदन, 2018, केन्द्रीय सर्तकता आयोग, भारत सरकार, पृ.सं. 1*
6. *पूर्वोक्त, पृ.स. 2*
7. *Website, cvc.gov.in/sites/default/files*
8. *URL//: cvc.gov.in/hi/about-us/function -and-power*
9. *धारा 8(1) क केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003*
10. *धारा 8 (1) (ख), केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम, 2003*
11. *धारा 8 (1) (ग), केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम, 2003*
12. *धारा 8 (1) (घ), केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम, 2003*
13. *धारा 8 (1) (ड़), केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम, 2003*
14. *धारा 8 (1) (च), केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम, 2003*
15. *धारा 8 (1) (छ), केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम, 2003*
16. *धारा 8 (1) (ज), केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम, 2003*
17. *धारा– 11, केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम, 2003*
18. *धारा– 19, पूर्वोक्त*
19. *URL cbi.gov.in/hn/abontus/history.php*